कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, भोपाल)
e-mail: principal@klsgaci.nic.in
webmaster@klsgaci.nic.in
Website: http://klsgaci.nic.i
Phone: 0755-2970310

क्रमांक / स्था. / 2019 /2689 भोपाल दिनांक 23/10/19

—:: स्टेटस्टीशियन पद हेतु नियम एवं शर्तें ::—

1. यह अनुबंध अंशकालिक तथा सत्र–2019–20 हेतु है। संबंधित पद पर नियमित पद स्थापना होने अथवा सत्र समाप्ति (जो भी पहले हो) होने पर अनुबंध स्वमेव ही समाप्त हो जायेगा।
2. संस्थान के स्वशासी समिति द्वारा पारित निर्णयानुसार मानदेय प्रतिकाल खण्ड रूपये 350/– (राशि तीन सौ पचास रूपये मात्र) देय होंगे जो कि प्रतिमाह राशि रूपये 15,000/– (रूपये पंद्रह हजार मात्र) से अधिक नहीं होंगे।
3. संस्थान में प्रवेशित पी.जी./यू.जी. पाठ्यक्रम में शिक्षण सत्र 2019–20 के अन्तर्गत विषय स्टेटिस्टिक्स के अध्यापन हेतु अध्यापन कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अतिथि अध्यापक की सहमति के साथ उक्त अनुबंध आगामी शिक्षण सत्र हेतु बढ़ाया जा सकेगा।
4. विभागाध्यक्ष स्वस्थवृत्त विभाग के माध्यम से उपस्थिति सत्यापित होने के पश्चात ही मानदेय का भुगतान अगले माह में किया जायेगा।
5. किसी भी स्थिति में अतिथि अध्यापक किसी गैरकानूनी अथवा राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा।
6. बिना किसी पूर्व सूचना के निरन्तर 06 दिवस अनुपस्थित रहने पर अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा। जिसकी कोई पूर्व सूचना पृथक से नहीं दी जायेगी।
7. यह सेवाएं पूर्णतः अंशकालिक अनुबंध मात्र है। नियमितिकरण से संबंधित कभी–भी कोई भी दावा (क्लेम) मान्य नहीं होगा।
8. छात्रों की अनुपस्थिति अवधि में, विश्वविद्यालयीन अवकाश एवं शासकीय अवकाश के दिनों में कक्षाओं का संपादन नहीं होने के कारण उक्त दिनों हेतु मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
10. अनुबंधित उम्मीदवार को आमत्रंण के पूर्व इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह अन्य शासकीय/अर्द्धशासीय सेवा में कार्यरत नहीं है।
11. स्टेटिस्टीशियन अतिथि अध्यापक किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएगें, और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
12. कालखण्ड की अवधि संस्थान द्वारा जारी समय–चक्र के अनुसार रहेंगी।

(डॉ० उमेश शुक्ला)
प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

Scanned by CamScanner